

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. /202.....

मालय का

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	सं.	दिनांक या क
	18.6.25	पत्रावली पेश हुई। अधिकन्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2.8.10, 20 की तारीख से Adv. खिचराज सिंह द्वारा न्यायालयतन्तुमा मया प्रार्थना पत्र दान्तर्गत 0 न R॥ न द्वारा 15/10/25 की तारीख से 15/10/25 तक दिवस गयी। पत्रावली वास्तुतः प्रार्थना पत्र 0 न R॥ दिनांक 21/7/25 की पेश हो।		
	21/7/25	पत्रावली पेश हुई। नदी/पत्रावली अतिरिक्त उपस्थित/अनुमति है। आदेशानुसार पत्रावली सं. 18/25 को		
	1.8.25	पत्रावली पेश हुई। अनुत्तराण अतिरिक्त उपस्थित। अधिकन्ता प्रार्थी वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 0 न R॥ का प्रभाव पेश ना कर सिधे बहस हेतु निवेदन करने पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्तुतः प्रार्थना पत्र 0 न R॥ दिनांक 22/8/25 की पेश हो।		
	22.8.25	पत्रावली पेश हुई। अनुत्तराण अतिरिक्त उपस्थित। कारण निर्दिष्ट नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्तुतः भारता दिनांक 29/8/25 की पेश हो।		
	29.8.25	पत्रावली पेश हुई। अनुत्तराण अतिरिक्त उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2.9.10, 20 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दान्तर्गत 0 न R॥ प्र.दी. स्वीकार किया गया। विधिगत सुले न्यायालय से सुनाया गया। विस्तृत निर्दिष्ट धृष्ट से रूकित निर्दिष्ट पान्तर शामिल किया गया।		

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
जोबनेर, जयपुर

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
जोबनेर, जयपुर

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
जोबनेर, जयपुर

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
जोबनेर, जयपुर

फर्द अहकाम

बनाम

मालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

सं. / 202.....

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>पत्रावली प्रार्थना मंत्र 07 R11 के आधार पर खारिज की गयी। पत्रावली प्रो. लाल कुमार टोकर नंबर से इस टोकर शिखर प्रकृति है।</p> <p><i>M. S.</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	